पत्रांक –1प्रा0आ0–36/2002/ 3460 /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक– 19/9/14

विषयः– **विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा संसूचित वर्ष 2010–15 तक के लिए दिनांक–01.04.2012 से प्रभावी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा (SDRF/NDRF) निर्धारित साहाय्य मानदर में संशोधन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 32–7/2011–एन0डी0एम0–I दिनांक– 16.01.2012 द्वारा राज्य आपदा रिस्पौंस कोष/नेशनल डिजास्टर रिस्पौंस फंड के व्यय हेतु संसूचित मानदर को दिनांक–19.03.2012 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदन के पश्चात विभागीय पत्रांक 1293/आ0प्र0 दिनांक–17.04.2012 द्वारा दिनांक–01.04.2012 के प्रभाव से राज्य में लागू किया गया है। भारत सरकार के पत्रांक 32–3/2013–एन0डी0एम0– I दिनांक–21.06.2013 द्वारा मानदर के मद संख्या–1 (e), 5 (i), B (a) & (b) and 5 (ii), 6 (ii) & (iii) एवं 9 (a) (i) को संशोधित किया गया है। उक्त संशोधन को विभागीय पत्रांक 4154/आ0प्र0 दिनांक–18.09.2013 द्वारा दिनांक–15.08.2013 के प्रभाव से राज्य में लागू करने हेतु संसूचित किया गया है। **गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्राक 32–3/2013–एन0डी0एम0–I दिनांक–28.11.2013 द्वारा मकान/आवास (Housing) से संबंधित पूर्व में संसूचित मानदर के कम/मद संख्या–9 (क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त कच्चा मकान, 9 (ख) अत्यधिक क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9 (ग) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का/कच्चा मकान, 9 (घ) क्षतिग्रस्त/बर्बाद झोपड़ी एवं 9 (ड़) मकान के साथ संलग्न पशु शेड हेतु निर्धारित मानदर को संशोधित किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा किये गये संशोधन को दिनांक–18.02. 2014 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में उक्त संशोधन को राज्य में दिनांक–01.03. 2014 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। उक्त संशोधन को विभागीय पत्रांक 2066 दिनांक–16.06.2014 द्वारा दिनांक–01.03.2014 के प्रभाव से राज्य में लागू करने हेतु संसूचित किया गया।**

पुनः भारत सरकार के पत्र सं0– 32–3/2013/एन0डी0एम0–1 दिनांक–05.03.2014 द्वारा आधारभूत संरचनाओं का मरम्मति/पुर्नस्थापन से संबंधित पूर्व में संसूचित मानदर के क्रम/मद सं0–10 (1) क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल की मरम्मति हेतु निर्धारित मानदर का संशोधित किया गया है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा किये गये संशोधन को दिनांक–
21.07.2014 को संपन्न राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में उक्त संशोधन को राज्य में दिनांक–01.08.2014 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह मानदर दिनांक–01.08. 2014 तथा उसके उपरान्त घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा :–

भारत सरकार के पत्र सं0– 32–3/2013/एन0डी0एम0–1 दिनांक–05.03.2014 द्वारा मानदर के क्रम/मद सं0–10 (1) क्षतिग्रस्त सड़कों एवं पुल की मरम्मति हेतु अद्यतन संशोधित **Norms of Assistance** मानदर

Sl. No.	Category	Normative rate for immediate repair of roads (Rs in lakh/km)	Remarks /अभ्युक्ति
1.	State Highways	1.00	In case, OR & PR rates are provided by the State, then higher of the normative rates and 15/20% of total (OR+PR) rates would be taken for calculation of assistance.
2.	Major District Roads	1.00	
3.	Village/Panchayat Roads	0.60	
क्र0 सं0	श्रेणी	सड़को के तत्कालिक मरम्मति हेतु अनुमान्य दर (रूपये लाख में/कि0मी0)/	
1.	राजकीय राजमार्ग	1.00	यदि सामान्य मरम्मति (Ordinary repair) तथा चक्रीय मरम्मति (Periodic Repair) के लिए राज्यकोष में प्रावधान किया जाना है, तो अनुमान्य दर का अधिकतम दर (OR+PR) दर के 15/20% को साहाय्य मानदर के गणना के लिए प्रयुक्त होगा।
2.	मुख्य जिला सड़क	1.00	
3.	ग्रामीण/पंचायत सड़क	0.60	

विश्वासभाजन

(signature)

(व्यास जी)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–36/2002..3460/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–19/9/14.

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–36/2002.3460/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–19/9/14

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त बिहार/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

(signature)

प्रधान सचिव

D:\2014\yojna 2014\letter 13-8-14 add. sec..docx

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–36/2002 3460/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 19/9/14

प्रतिलिपिः उप सचिव, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिविजन), भारत सरकार, नई दिल्ली (टेली फैक्स–23438123) को उनके पत्रांक 32–3/2013 एन0डी0एम0–1 दिनांक–05.03.2014 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–36/2002 3460/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 19/9/14

प्रतिलिपिः उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पंत भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–36/2002 3460/आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 19/9/14

प्रतिलिपिः माननीय मुख्य मंत्री (विभागीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग) के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

D:\2014\yojna 2014\letter 13-8-14 add. sec..docx